28/1/16 वकील प्रतिवादन उपस्थित पूर्वाहुल्लेख तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 7/4/16 को पेश हो। [illegible]

7/4/16 वकील प्रतिवादन उपस्थित पूर्वाहुल्लेख तलबी प्रतिवादी सं. 5 तक 5 तलबना पेश होने पर की जाकर पत्रावली दि० 12/5/16 को पेश हो। [illegible]

23/5/16 पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई प्रार्थीगण उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 11 के जवाब पेश किया। मुतकिल पत्रावली किया जाकर जवाब था एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुतकिल जवाब अप्रार्थी सं. 11 अप्रार्थीगण को जमीं अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र को धन्य कोर्ट में रखा जाकर इस पर गुणावगुण के आधार पर सुना गया। इसलिए अप्रार्थीगण को जमीं अस्थाई निषेधाज्ञा तलबीसला द्वारा पाबंद किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को तलबीसला द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि कासमसवता तह० खोराना के अराजी खा० नं. 34, 140, 142, 147, 163, 451, 459, 460, 461, 462, 466, 466/1035, 561, 582, 601, 691 कुल किता 16 का कुल रकबा 29 बीघा 04 बिस्वा व ख. नं. 97 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो खुद करें नाही अन्य से करावें। इस बाबत न तो स्वयं करें नाही किसी अन्य से करावें। मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। निर्णय लोक अदालत सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कटे तथा दाखिल खारिज सेलब्ज हो।

[illegible]
उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (करौली)